17/2024 3

नम्बर व तारीख हुक्म	GCMS No. 2024/106 इडी/RTA हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जमना vs ओमप्रकाश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.2.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। संक्षिप्त में प्रार्थीगण ने चक 29 LLW में अवस्थित खाता सं. 35/31 की 3.036 है० भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खाता सं. 9/6 की भूमि में प.न. 40/220 (15) के किला न. 23 के पूर्वी सिरा पर दक्षिण से उत्तर 1 बिस्वा चौड़ा व 1 बीघा लम्बाई यानि 0.013 है० रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि. किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार - 1) वर्तमान में प्रार्थीगण आवेदित रास्ता ही आवागमन हेतु काम में ले रहे है। 2) प्रार्थी के खेत से निकटतम कटानी रास्ता प.न. 40/221 (31) कि.न. 1ता 5 में स्वीकृत शुदा रास्ता है। 3) प्रार्थीगण को [illegible] ही आसानी रहती है। 4) प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। 5) अन्य कोई विकल्प के रूप में कोई मार्ग नहीं है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बहस अधि० प्रार्थीगण सुनी गई। हम प्रार्थना पत्र को तीन बिन्दुओं के आधार पर निर्णीत करना समीचीन समझते है -

1) रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता

2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव

3) निकटतम स्वीकृत शुदा रास्ते से / लघुतम रूट का प्रावधान।

उक्त बिन्दुओं के मद्दनजर न्यायालय के विनम्र अभिमत में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के ख.नं. 40/220 (15) किला नं० 23 में पूर्वी सींव पर उत्तर से दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ाई व 1 बीघा लम्बाई यानि 0.013 है० रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते की एवज में डी.एल.सी. की दुगनी राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाई जायेगी जिसकी गणना तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा करवाई जायेगी। प्रार्थीगण द्वारा राशि राजकोष में जमा करवाने के उपरान्त भू. नं. रास्ते का [illegible] अंकन किया जायेगा तदुपरान्त रास्ते को ~~अंकन~~ ~~स्वत्व~~ मौके पर चालू करवाया जायेगा अप्रार्थीगण द्वारा माँग किये जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

में जारी हुए

उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 01 को लौटाई जायेगी। तहसीलदार हनुमानगढ को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested